



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2018/माघ 20, 1939

No. 73]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2018/MAGHA 20, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सा.का.नि 152(ब).—मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 39 की उप धारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मसाला बोर्ड में सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सचिव, (मसाला बोर्ड) भर्ती नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इसमें संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं** : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता**: वह व्यक्ति; –
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सचिव	एक* (2018)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित	स्तर 14 (रु.1,44,200-2,18,200)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन

परिवर्धना की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा :- केन्द्रीय सरकार या संगठित सेवा के अधिकारी जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हों। यह नियुक्ति, संयुक्त सचिव की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार की लागू प्रक्रिया के अनुसार मसाला बोर्ड द्वारा की जाएगी। टिप्पणी 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फा. सं. 5/5/2016-वागान-डी]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd February, 2018

G.S.R152(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section 2 of Section 39 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), The Spices Board hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Secretary in the Spices Board, namely:-

1. **Short title and commencement,** - (1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Secretary, (Spices Board) Recruitment Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix-** The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the said Schedule.
3. **Method of recruitment, age limit and qualifications-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
4. **Disqualification- No persons,—**
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether Selection post or Non-Selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Secretary	One* (2017)	General Central Service Group 'A', Gazetted.	Level 14 (Rs.1,44,200 - 2,18,200)	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

*Subject to variation dependent on workload.

Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption in to be made.	If Departmental Promotion Committee exists what is its Composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	By deputation.	<p>By deputation (i) Officers of the Central Government or organized service not below the rank of Joint Secretary to the Government of India. The appointment will be made by Spices Board in accordance with the applicable procedure of the Central Government for appointment of the Joint Secretary</p> <p>NOTE 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>NOTE 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>NOTE 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.</p>	Not applicable.	Not applicable.

[F.No.5/5/2016-Plant-D]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.